

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
 समक्ष: एम०के०सिंह
 सदस्य

पूर्वविलोकन प्रकरण क्रमांक 2534-ग्र-2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 18-7-2016
 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 2623-दो-2014
 निगरानी ।

- 1—सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उधम सिंह रघुवंशी
- 2—देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री उधम सिंह रघुवंशी
 निवासीगण ग्राम गलावनी तहसील मुगावली
 जिला अशोकनगर म.प्र.

.....आवेदिका

विरुद्ध

म०प्र० शासन

.....अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन)

(अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री बी.एन. त्यारी)

आ दे श

(आज दिनांक ३०-७-2016 को पारित)

यह पूर्वविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्र 2623/दो/2014 निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 18.07.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू- राज्य संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण को ग्रम मलावनी स्थिति भूमि सर्वे कमाक 240/1 हैक्टर पर करीब 30 वर्ष से लगातार कब्जा चला आ रहा था जिस कारण शासकीय निर्देशानुसार एंव राजस्व पुस्तक परिपत्र की कण्डिका 4(3) के प्रावधानो के मुताविक उक्त भूमि सर्वे कमाक 401/1 है 0 मे से आवेदक क 1 को 0.500 है 0 एंव आवेदक क 2 को 0.500 मिन रकवा 1.045 हैक्टर भूमि पर तहसीलदार मुगावली द्वारा अपने प्रकरण क 160/अ-19/89-90 मे पारित आदेश दिनांक 08.10.1990 से भूमि का व्यवस्थापन आवेकदकगण के पक्ष मे व्यवस्थापन किये गये अपर कलेक्टर अशोकनगर ने उक्त तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश को काफी लम्बे समय के वाद प्रकरण को स्वमेव निगरानी मे लेते हुये प्रकरण कमाक 523/97-98 स्व निगरानी पर दर्ज करते हुये वगैर सुनवाई का मोका दिये आलोच्य आदेश दिनांक 29.06.99 से आवेदकगण के पक्ष मे व्यवस्थापन आदेश दिनांक 08.10.90 निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर अशोकनगर के स्व निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 29.6.99 के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी 523/2009-2010 प्रस्तुत की गई जो आलोच्य आदेश दिनांक 27.08.2010 से निरस्त की गई जिस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण कमाक 2623/दो/2014 प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 18.7.2016 से निरस्त कर दी गई । इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध यह पुर्णविलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदक द्वारा इस प्रकरण में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि पर पूर्वजो के समय से निरस्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा है तहसीलदार द्वारा विधिवत एंव नियमानुसार जांच करने के उंपरात किसी की कोई आपत्ति न आने पर व्यवस्थापन किया गया है जो व्यवस्थापन वर्ष 1990 मे किया गया है अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी लम्बे समय वाद वगैर आवेदक को सुने व सुनवाई का मोका दिये व्यवस्थापन को लगभग 9 वर्ष वाद स्व.निगरानी मे लेते हुये व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है जो आलोच्य आदेश कर्तई उचित एंव न्याय संगत नहीं है।

(JM)

Bp


माननीय वरिष्ठ उच्चतम एंव उच्च न्यायालय ने कई न्याय सिंद्धात प्रतिपादित किये हैं कि स्वनिगरानी में प्रकरण को सिर्फ 180 दिन के भीतर लेना चाहिए काफी लम्बे समय के बाद प्रकरण को स्व. निगरानी में नहीं लेना चाहिए। उक्त अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी लम्बे समय 9 वर्ष के अंतराल के बाद प्रकरण को स्व. निगरानी में लेकर निरस्त किया है जो कर्त्तव्य उचित एंव न्याय संगत न होने से निरस्त योग्य है एंव पुर्नविलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधिनस्थ न्यायालयों एंव इस माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह विधिवत एंव सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्क एंव उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण को उक्त भूमि का व्यवस्थापन तहसील मुगांवली न्यायालय के प्रकरण क्र 1603-19/89-90 में पारित आदेश दिनांक 08.10.1990 से किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी समय के बाद स्व. निगरानी में लेते हुये प्रकरण क्र 523/97-98 स्व निगरानी में दर्ज करते हुये अपने आदेश दिनांक 29.6.99 से आवेदकगण के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया गया हैं जबकि अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्व0 निगरानी में काफी समय के अंतराल के बाद लिया है निश्चित समय के अन्दर में नहीं लिया हैं दूसरे पक्ष को सुने वगैर , उसको सूचना पत्र जारी किये वगैर आदेश पारित किया गया है जो उचित नहीं है। आवेदकगण द्वारा उक्त पटटे पर प्राप्त भूमि पर आज काफी धन खर्च कर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया है उसमे ट्यूवेल पम्प लगार उक्त भूमि को उपजाऊ बनाकर काफी मेहनत करके भूमि को उपजाऊ कृषि योग्य बनाया गया है इसलिये अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्वनिगरानी में लेते हुये पटटे निरस्त

करने से आवेदकगण को काफी मानसिक व शारीरिक व आर्थिक हानि हुई है। इस सम्बंध में 2000 आरोड़नो 161 मान.उच्च न्यायालय , 2000आरोड़नो 67 उच्च न्यायालय ,2010 (4) एमपीएलजे 178,1996 आरोड़नो 137, ,1969 एससी 1297 ,1990 आर.एन. 77, 1992 आर.एन. 163 के न्याय दृष्टातों मे अभिमत दिया गया है । कि स्व0 निगरानी में कोई प्रकरण लेना है तो निश्चित समय सीमा के भीतर लेना चाहिए काफी अंतराल के बाद नहीं एवं दूसरे पक्ष को सूचना सुनवाई का अवसर दिये विना नहीं करना चाहिए कलेक्टर अशोकनगर द्वारा जो प्रकरण स्व निगरानी मे लिया गया है व कतई उचित एवं नियमानुकूल नहीं है। इस वैधानिक तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालयों एवं इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति मे पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । एवं आवेदकगण को उक्त निगरानी पेश करने मे हुये विलम्ब को सदभावना पर मानते हुये न्याय हित में क्षमा किया जाता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा निगरानी क 2623/दो 2014 में पारित आदेश दिनांक 18-07-2016 अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क 623/2009-10 पारित आदेश दिनांक 27-08-2010 एवं अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा स्व0 निगरानी 523/97-98 में पारित आदेश दिनांक 29-6-1999 विधिवत एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं। तथा तहसीलदार मुंगावली का आवेदकगण के पक्ष में व्यवस्थापन प्रकरण क 160/अ-19/89-90 में पारित आदेश दिनांक 08-10-1990 स्थिर रखा जाता है।


(एम.के. सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर